



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 128710

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या – 40182 वर्ष 2025

विशाल यादव और 4 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : पवन कुमार राव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., संजय कुमार राय

न्यायालय संख्या – 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

1. आवेदकों, जो संख्या में पाँच हैं, की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार राव, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री कमल देव राय तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 से 4 की ओर से श्री संजय कुमार राय को सुना गया।
2. यह धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना की गई है:-

“अतः, यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया वर्तमान आवेदन को स्वीकार करते हुए विशेष मुकदमा संख्या 165/2020 (राज्य बनाम विशाल यादव एवं अन्य), जो आरोप-पत्र दिनांक 23.06.2020, आरोप-पत्र संख्या ए-149/2020 से उत्पन्न हुआ है, में आवेदक संख्या 1 एवं 2 के विरुद्ध धारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



147, 148, 452, 308, 323, 504 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) एवं 3(2)(व) तथा आवेदक संख्या 3 से 6 के विरुद्ध धारा 147, 148, 452, 308, 323, 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत, जो वाद अपराध संख्या 134/2020, धारा 147, 148, 452, 323, 325, 308, 504 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) एवं 3(2)(व), थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ से संबंधित है और विशेष न्यायाधीश/एस.सी./एस.टी. अधिनियम, आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही सहित निरस्त करने की कृपा करें।”

3. इस न्यायालय ने दिनांक 04.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

“1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार राव तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार राय को सुना गया। आवेदकों की ओर से प्रस्तुत पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन उस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख प्रार्थना-पत्र में किया गया है। आवेदन में उल्लिखित प्रार्थना निम्नवत है:-

“अतः, यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया वर्तमान आवेदन को स्वीकार करते हुए विशेष वाद संख्या 165/2020 (राज्य बनाम विशाल यादव एवं अन्य), जो आरोप-पत्र दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



23.06.2020, आरोप-पत्र संख्या A-149/2020 से उत्पन्न हुआ है, मैं आवेदक संख्या 1 एवं 2 के विरुद्ध धारा 147, 148, 452, 308, 323, 504 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा (1)(आर), 3(1)(एस) एवं 3(2)(व), तथा आवेदक संख्या 3 से 6 के विरुद्ध धारा 147, 148, 452, 308, 323, 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आरोप-पत्र, जो केस क्राइम संख्या 134/2020, धारा 147, 148, 452, 323, 325, 308, 504 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा (1)(आर), 3(1)(एस) एवं 3(2)(व), थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ से संबंधित है और विशेष न्यायाधीश/एस.सी./एस.टी. अधिनियम, आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही सहित निरस्त करने की कृपा करें।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त आरोप-पत्र की कार्यवाही को, वर्तमान आवेदन के लंबित रहने के दौरान, निरस्त करने की कृपा करे, अन्यथा आवेदकों को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी। तथा/अथवा न्यायहित में यह माननीय न्यायालय ऐसा अन्य आदेश अथवा निर्देश पारित करे, जिसे वह उचित एवं न्यायसंगत समझे।”

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का समाधान कर लिया है और वे समाज में शांतिपूर्वक रह रहे हैं तथा एक-दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं रखते। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक वाद आगे नहीं चलाना चाहता है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.02.2021 का समझौता आवेदन संबंधित विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदन के अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न है। उन्होंने आगे प्रार्थना की कि समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु पक्षकारों की उपस्थिति के लिए कोई तिथि नियत की जाए।

4. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के दृष्टिगत, दोनों पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 16.02.2026 को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, ताकि समझौता आवेदन का सत्यापन किया जा सके। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय पक्षकारों की उपस्थिति पर समझौता आवेदन का सत्यापन करेगा और सत्यापन के पश्चात् सत्यापन रिपोर्ट/आदेश इस न्यायालय को प्रेषित करेगा।
5. चूंकि यह मामला एस.सी./एस.टी. अधिनियम से संबंधित है, अतः उस रसीद की प्रति, जिससे यह प्रदर्शित हो कि प्रथम सूचनादाता/पीड़ित तथा गवाहों (यदि कोई हों) ने एफ.आई.आर. दर्ज कराने के एवज में राज्य कोष से पूर्व में प्राप्त राशि वापस कर दी है, विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाए। विचारण न्यायालय अपने समझौता सत्यापन आदेश में यह तथ्य भी अंकित करेगा कि पीड़ित/सूचनादाता तथा गवाहों (यदि कोई हों) द्वारा प्राप्त राशि संबंधित प्राधिकारी को वापस कर दी गई है।
6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता सत्यापन रिपोर्ट को शपथपत्र के साथ दाखिल कर सकते हैं।
7. इस मामले को दिनांक 23.02.2026 को नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।”
4. दिनांक 22.05.2026 की कार्यालय रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके अनुसार समझौते का सत्यापन कर लिया गया है। अभिलेख के अनुसार, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी., आजमगढ़ का दिनांक 20.05.2026 का पत्र इस न्यायालय को संबोधित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि समझौते का सत्यापन कर लिया गया है तथा इस संबंध में प्रथम सूचनादाता/पीड़ित द्वारा चालान के माध्यम से ₹1,50,000/- तथा ₹75,000/- + ₹75,000/- जमा करने की दो रसीदें भी उपलब्ध हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायालय में यह कथन किया है कि अब चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है और उसका सत्यापन भी कर लिया गया है, अतः अब आगे विचारण हेतु कुछ शेष नहीं है।
6. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समझौते का सत्यापन हो चुका है और क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित द्वारा वापस कर दी गई है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य, (2012) 10 एस सी सी 303 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, आपराधिक अपील संख्या 349** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, आवेदकों के संबंध में कार्यवाही निरस्त की जाती है।
7. तदनुसार, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
8. दिनांक 23.06.2020 का आरोप-पत्र, आरोप-पत्र संख्या ए-149/2020, जो आवेदक संख्या 1 एवं 2 के विरुद्ध धारा 147, 148, 452, 308, 323, 504 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा (1)(आर), 3(1)(एस) एवं 3(2)(व), तथा आवेदक संख्या 3 से 6 के विरुद्ध धारा 147, 148, 452, 308, 323, 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो वाद अपराध संख्या 134/2020, धारा 147, 148, 452, 323, 325, 308, 504 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा (1)(आर), 3(1)(एस) एवं 3(2)(व), थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ से संबंधित है, तथा उक्त आरोप-पत्र पर विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), आजमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 22.10.2020 का संज्ञान/समन आदेश, जो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विशेष न्यायाधीश/एस.सी./एस.टी. अधिनियम, आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, आवेदकों के विरुद्ध
निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

23 जून, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”